कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 16/05/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 15.05.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना रामपुर मांझा द्वारा थाना क्षेत्र में फायरिंग कर लोगों में भय फैलाने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार। जिसके कब्जे से एक अदद पिस्टल 32 बोर, एक अदद खोखा कारतूस 32 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर मय मैगजीन बरामद।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 15.05.2025 की प्रातः में प्रभारी निरीक्षक रामपुर मांझा मय पुलिस टीम द्वारा थाना रामपुर मांझा से संबंधित मु0अ0सं0 51/2025 धारा 288, 351(2) बी0एन0एस0 व आयुध अधिनियम 3/25 के अभियुक्त कर्मवीर सिंह उर्फ सन्नी सिंह पुत्र स्व0 नगीना सिंह निवासी ग्राम देवचन्दपुर थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर से दिनांक 14.05.2025 को मुकदमा उपरोक्त में प्रयुक्त नाजायज असलहा की बरामदगी हेतु बहद ग्राम देवचन्दपुर अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी हेतु लाया गया था। दौराने बरामदगी अभियुक्त द्वारा मौका देखकर हम पुलिस वालो पर फायरिंग की गई। जिसके जवाब में पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ संतुलित जवाबी फायरिंग की गई। जिसमें बदमाश के दाहिने पैर मे गोली लगी है और वह घायल हो गया है। जिसे तत्काल प्राथमिक उपचार हेतु नजदीकी पी0एच0सी0 देवकली भेजा गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि क्षेत्र मे दबदबा व लोगो में दहशत बनाने के लिए मेरे द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया। ज्ञात हो कि उपरोक्त अभियुक्त थाना रामपुर मांझा का हिस्ट्रीशीटर भी है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।

घायल /गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. कर्मवीर सिंह उर्फ सन्नी सिंह पुत्र स्व0 नगीना सिंह निवासी ग्राम देवचन्दपुर थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर

अभियुक्त कर्मवीर सिंह उर्फ सन्नी सिंह का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 1439/06 धारा 323,504,506 भादवि व 3(1)(X) SC/ST ACT थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

2. मु0अ0सं0 1334/07 धारा 302 भादवि व 7 CLA ACT व 3(2)(V) SC/ST ACT थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 1344/07 धारा 3/25 ARMS ACT थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 455/09 धारा 3/2 गुण्डा ACT थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
5. मु0अ0सं0 54/08 धारा 3(1) गैंगेस्टर ACT थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
6. मु0अ0सं0 523/20 धारा 147,148,149,323,304,506,307,427,302,396 भादवि 7 CLA ACT थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
7. मु0अ0सं0 422/20 धारा 386,427 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
8. मु0अ0सं0 28/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर ACT थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
9. मु0अ0सं0 534/20 धारा 25,27,7 ARMS ACT थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
10. मु0अ0सं0 01/24 धारा 3/2 गुण्डा ACT थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर
11. मु0अ0सं0 51/2025 धारा 288, 351(2) बी0एन0एस0 व आयुध अधिनियम 3/25 थाना रामपुर मांझा जनपद गाजीपुर

बरामदगी -

1. एक अदद पिस्टल 32 बोर
2. एक अदद खोखा कारतूस 32 बोर
3. दो अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर मय मैगजीन

02. माननीय मंत्री का पुत्र (फर्जी) बनकर अधिकारियों को फोन कर अनर्गल दबाव बनाने वाले अभियुक्त को थाना दुल्लहपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपराध तथा अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत, दिनांक 14.05.25 को वादिनी मुकदमा सावित्री देवी पत्नी स्व0 अशोक चौहान ग्राम व थाना दुल्लहपुर की तहरीर पर थाना दुल्लहपुर पर मु0अ0सं0 107/25 धारा 308(7),351(3) बीएनएस बनाम विनय चौहान पुत्र राम करन चौहान ग्राम देवरीबारी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कार्यवाही करते हुए थानाध्यक्ष दुल्लहपुर, उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय हमराह के द्वारा अभि0 उपरोक्त को दिनांक 14.05.2025 को दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन के पास बने मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से एक अदद मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी रंग हल्का बैंगनी बरामद हुआ।

विवरण पूछताछ - पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरी तमन्ना अपने को प्रभावी दिखाने की थी, इसके लिए मैं लोगों से आर्थिक लाभ लेने के लिए लोगों की गलत सही समस्याओं को लेकर पुलिस / प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए फोन करता था। मैं अपना परिचय माननीय मंत्री श्री दारा सिंह

चौहान के पुत्र के रूप में देता था, कभी अपना नाम विनय सिंह चौहान व कभी अतुल चौहान बताता था तथा लखनऊ में रहना बताता था बातचीत की रिकॉर्डिंग एडिट कर सोशल मीडिया साइट पर डालता था जिससे लोग मुझे प्रभावशाली जानकर जुड़ सकें इस कृत्य से मुझे काफी आर्थिक लाभ हुआ मैं इस तरह अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहा था मेरी योजना भविष्य में जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की थी मैं इसी प्रकार लोगों पर धौंस जमाता था।

इसके इस कृत्य की जानकारी होने पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 106/2025 धारा 319(2),318(4) बीएनएस व 72 आईटी एक्ट थाना दुल्लहपुर पर पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1. विनय चौहान पुत्र राम करन चौहान ग्राम देवरीबारी थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 106/25 धारा 319(2),318(4) बीएनएस व 72 आईटी एक्ट थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

2. मु0अ0 सं0 107/25 धारा 308(7),351(3) बीएनएस थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक -

दुल्लहपुर रेलवे स्टेशन के पास बने मंदिर से दिनांक 14.05.2025

बरामदगी-

एक अदद मोबाइल फोन ओप्पो कम्पनी रंग हल्का बैंगनी

03. थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 15.05.2025 को उ0नि0 सलाहुद्दीन मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकिया गांव के बाहर हरिजन बस्ती नहर पुलिया के पास से अभियुक्त अरमान कुरैशी पुत्र सद्दीक कुरैशी निवासी कसाई मुहल्ला, जमानिया थाना जमानियां जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद होने पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 333/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1 .अरमान कुरैशी पुत्र सद्दीक कुरैशी निवासी कसाई मुहल्ला, जमानिया थाना जमानियां जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष।

बरामदगी

1 . 01 अदद तंमचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहासः-

1 .मु0अ0सं0-333/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर।

2 .मु0अ0सं0-39/24 धारा 309(4), 317(2), 61(2) बीएनएस थाना नगसर हाल्ट जनपद गाजीपुर।

3 .मु0अ0सं0-48/24 धारा 3(1) गैगेस्टर अधि0 थाना नगसर हाल्ट जनपद गाजीपुर।

4 .मु0अ0सं0-82/24 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस थाना सुहवल जनपद गाजीपुर।

5 .मु0अ0सं0-294/23 धारा 147,323,504 भादवि थाना जमानियां जनपद गाजीपुर।

6 .मु0अ0सं0-39/22 धारा 379,411 भादवि थाना जमानियां जनपद गाजीपुर।

7 .मु0अ0सं0-405/22 धारा 394 भादवि थाना जमानियां जनपद गाजीपुर।

8 .मु0अ0सं0-417/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जमानियां जनपद गाजीपुर।

9 .मु0अ0सं0-40/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जमानियां जनपद गाजीपुर।

10 .मु0अ0सं0-182/21 धारा 354(क),452,506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना जमानियां जनपद गाजीपुर।

11 .मु0अ0सं0-319/2020 धारा 401 भादवि व 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जमानियां जनपद गाजीपुर।

12 .मु0अ0सं0-09/2020 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना जमानियां जनपद गाजीपुर।

04. थाना दिलदारनगर पुलिस टीम द्वारा 750 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 14.05.2025 को उ0नि0 श्री सत्यनारायण शुक्ल मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर रेलवे क्रासिंग हुसैनाबाद के पास बहद ग्राम हुसैनाबाद से अभियुक्त अन्टू कुमार सिंह पुत्र स्व0 रामानुग्रह सिंह निवासी ग्राम फफदर बेस थाना मुटार जनपद बक्सर (बिहार) उम्र करीब 36 वर्ष के कब्जे से अवैध गांजा 750 ग्राम बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 89/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः –

1 .अन्टू कुमार सिंह पुत्र स्व0 रामानुग्रह सिंह निवासी ग्राम फफदर बेस थाना मुटार जनपद बक्सर (बिहार) उम्र करीब 36 वर्ष।

बरामदगीः

1 .750 ग्राम अवैध गांजा

05. थाना करीमुद्दीनपुर पुलिस टीम द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 0.315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 0.315 बोर व 01 अदद चोरी के मोटरसाईकिल के साथ 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 15.05.2025 को उ0नि0 दिनेश चन्द्र कौशिक मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर बखरियाडीह बांध चौराहा से अभियुक्त 1.आशीष पाल पुत्र जोगिन्दर पाल निवासी हरदासपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष 2.उमेश यादव उर्फ गुनगुन पुत्र जगदीश यादव निवासी गोविन्दपुर थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष के पास से 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 95/25 धारा 304(2) B.N.S. व (बढ़ोत्तरी) धारा 317(2) B.N.S. व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1 .आशीष पाल पुत्र जोगिन्दर पाल निवासी हरदासपुर थाना करी0पुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 21 वर्ष।

2 .उमेश यादव उर्फ गुनगुन पुत्र जगदीश यादव निवासी गोविन्दपुर थाना करी0पुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगीः-

1 . 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिंदा कारतूस 0.315 बोर व 01 अदद चोरी की गयी मो0सा0 HF Deluxe UP60BD1169

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः-

1 . मु0अ0सं0 95/25 धारा 304(2) B.N.S. व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) B.N.S. व 3/25 आर्म्स क्ट थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर